SKPM/SEC.DEPT/2026-27
September 04, 2026

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Deptt.
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001

Scrip Code: 500388

Sub: Newspaper Advertisement regarding Notice of 54th Annual General Meeting ("AGM") of the Company held through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means, Book Closure and E-voting information.

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Madam/Sir,

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulations 44 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, read with other related general circulars including but not limited to circular no. 03/2025 dated September 22, 2025, issued by the Ministry of Corporate Affairs, copies of the newspaper advertisement published in following given under newspaper in English and Hindi editions on Friday, September 04, 2026, regarding Notice of 54th AGM of the Company scheduled to be held on Tuesday, September 29, 2026 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means facility, Book Closure and E-voting information, are enclosed. The same is also available on website of the Company at www.skpmil.com.

Please find enclosed below, the newspaper clippings published in:

1. Business Standard- English language national daily newspaper.
2. Business Standard - Hindi Edition.

You are requested to take the above on record.

Thanking You,

For Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.

RITIKA PRIYAM Digitally signed by RITIKA PRIYAM Date: 2026.09.04 12:26:02 +05'30'

Ritika Priyam
Company Secretary & Compliance Officer
Mem No: A53502

Encl: As above

Reforms are a continuing phenomenon: C Rangarajan

35 years of liberalisation

FROM PAGE 1

C Rangarajan, then deputy governor of the Reserve Bank of India, oversaw a two-step devaluation of the rupee on July 1 and 3, 1991 PHOTO: REUTERS

Prime Minister P V Narasimha Rao had second thoughts after the July 1 devaluation and wanted to stop the second devaluation. Apparently Finance Minister Manmohan Singh tried to reach you but couldn't. Do you think history would have taken a different course if you had not gone ahead with the second devaluation?

■ The decision on devaluation is usually announced by the government. In 1991, it was done differently. The RBI was daily announcing the value of the rupee those days (I was in charge of it). At the meeting on devaluation, it was decided that this time the RBI would announce the decision as part of its daily announcement. Since the level of devaluation was huge, it was also decided to do it in two stages. Much of the help that we were expecting from outside would have taken a beating if we had not gone through with the second stage of devaluation. It was a measure of our determination to do the right thing. Failure to go through with the second stage would have sent the wrong message.

At that time, did you also brief PM Rao or was your communication channel always through Manmohan Singh?

■ Before becoming governor, I was a member of the Planning Commission, of which Narasimha Rao, as the Prime minister, was the chairman. The eighth plan report had to be approved by the PM. It detailed many things we had to do to overcome the crisis and move forward. I had talked to him on these matters at that time. After becoming governor, most of my discussions were with Manmohan Singh. But I did meet PM Rao either directly or along with the finance minister.

How did you view the economic reforms from Mint Street?

■ The reforms made a break with the past. They did away with the multitude of permits and licences that dominated the Indian economy. The role of the state was modified and finally the new strategy of development did away with the old import-substitution policy. By embracing international trade, India was accepting the challenge and opportunity of integrating into the world economy. This approach is very different from what we used to do when faced with BoP problems earlier. Narasimha Rao never used the word "break"; he always talked of "continuity" and the "middle path". He did so because he had to carry not only the Opposition but also his own party. Manmohan Singh was right when he quoted and said liberalisation was an "idea whose time had come".

IT (TWO-STEP DEVALUATION) WAS A MEASURE OF OUR DETERMINATION TO DO THE RIGHT THING. FAILURE TO GO THROUGH WITH THE SECOND STAGE WOULD HAVE SENT THE WRONG MESSAGE

You ended automatic monetisation of the Budget deficit in 1994. How did it start and why do you think it took so long to abolish it?

■ Automatic monetisation was the result of a seemingly innocuous agreement between the RBI and government under which when government balances fell below a particular level, it would be replenished by the issue of ad hoc treasury bills. I talked about it in a memorial lecture, and thereafter I had discussed the matter with Manmohan Singh. He immediately recognised the need to correct this. But we also recognised that the central government would also need some Ways and Means advances to tide over temporary mismatches between revenues and expenditures. This had to be worked out. This was part of our efforts to minimise monetisation of the Budget deficit.

Did the idea of banking reforms, including allowing private banks, come from Mahmohan Singh or the RBI?

■ One of the major elements in the reform process was to put an end to restrictions on entry and growth of firms. We wanted a more competitive environment in all areas. Extending this principle to the banking industry, we felt that more banks were needed and particularly in the private sector. There was no enactment barring the setting up of private banks. The provision in the Banking Act to allow for banks to set up in the private sector was not acted upon. So, I decided to allow new private banks to set up. This was discussed with the finance minister and the ministry. We had to also outline the criteria for setting up banks by the private sector. It must be understood that at that time there was a high degree of consultation and communication between the RBI and finance ministry. We worked together to usher in a new regime and that needed continued consultation among all.

Was there political opposition to stake sale in public sector banks (PSBs)?

■ Reducing the share of government holding in PSBs required talking with political parties. It is not just Opposition leaders alone. Even leaders of the Congress had to be convinced. The point that we made was that since the government would hold 51 per cent of the share capital, these banks would remain PSBs. It has also to be noted that reducing the stake took a long time. We had to convince private participants that investing in PSBs was worthwhile. This could happen only after we had strengthened the PSBs.

Was there any proposal or decision that you and Manmohan Singh deferred on?

■ As I mentioned earlier, we were going through a period in which we had to overcome the crisis and bring about fundamental changes in the development strategy. In this context, all the participants — the government and RBI — met often and thrashed out various concerns on major issues like putting an end to monetisation of fiscal deficit, moving towards a new exchange rate regime, bringing about changes in the banking system such as strengthening capital and introducing prudential measures. On these various measures there was no conflict. There could have been some differences on modalities, but we worked as a team as the criticality of times demanded it.

What is the unfinished agenda in banking reforms?

■ Reforms are a continuing phenomenon. As circumstances change, we need to introduce new measures to take care of new challenges. There are still issues to be addressed such as small banks versus large banks, universal banking, continuous authorisation, consolidation, role of foreign banks, operations of Indian banks overseas and government ownership. These need to be addressed on an ongoing basis.

Lavasa terms SIR legal but unfair, urges civil servants to have empathy

ARCHIS MOHAN
New Delhi, 3 September

"ARE WE TRYING TO CREATE A SITUATION IN WHICH PEOPLE ARE DISENCHANTED WITH THE PROCESS OF DEMOCRACY?... NOW WE ARE CREATING AN ENVIRONMENT IN WHICH PEOPLE FIND IT SO DIFFICULT"

Ashok Lavasa, ex-election commissioner

Terming the Election Commission's (EC's) Special Intensive Revision (SIR), which has until now struck the names of 130 million electors off electoral rolls, as unfair, former Election Commissioner of India Ashok Lavasa said on Thursday that personalisation of the government and the state within a political party, threats to the country's federal character, and the belief among statutory bodies and the government that might is right, are challenges facing Indian democracy.

Delivering the first Jagdeep Chhokar Memorial Lecture on "leadership, ethics and public service", Lavasa termed it disturbing that statutory institutions, and constitutional bodies of India's body politic, including the government, have started behaving as if might is right. He said the concept of "might is right" belongs to medieval times "where somebody who had might would say that whatever I do is right".

Pointing to the EC's SIR, Lavasa said, "Now the institutions which have the might of law invested in them, think that whatever they do is right." He said SIR is an unfair procedure imposed on millions of people in the country, and the judiciary has validated it since it's been argued that it is legal. "Of course, it is legal. (But) Is it fair," Lavasa asked, adding that justice is not merely about enforcing the letter, but is also about protecting its spirit.

The former Indian Administrative Service (IAS) officer said 130 million electors have been deleted from electoral rolls, and the reply is that they have the recourse to file an application. "But is this necessary at all," he asked, and spoke of the predicament of an 87-year-old woman in Chandigarh, wife of a former chief secretary of the state, who has lived in that house for 36 years, getting a notice that her name has been deleted from the electoral rolls. He said the old woman has no interest in subjecting herself to submitting the documents required.

"Are we trying to create a situation in which people are disenchanted with the process of democracy? As it is, 33 per cent of people don't even vote. The highest voting percentage (in a Lok Sabha election) has been 67 per cent. Now we are creating an environment in which people find it so difficult. Much mass anxiety has been created over their constitutional right," he said, adding that such was never the case.

The former election commissioner said the framers of India's Constitution did not envisage that there would be a time when the country's federal character would be under threat. He said it also appears that there is a personalisation of the state. "We have started to identify government and the ruling party as if there is no difference. There is a difference and that is what I think we need to understand," he said. He faulted all political parties for refusing to come under the purview of the Right to Information (RTI) Act, and for agreeing to the electoral bond scheme, which the Supreme Court eventually struck down in 2024. He bemoaned that political parties have stopped raising issues that are of public interest.

Lavasa underlined the need for ethics and empathy in public life, and urged civil servants and people's representatives to have the ability to hear the voice of the poor and the marginalised, invoking John Stuart Mill's warning that a people can be induced to "lay their liberties at the feet of a great man, or trust him with powers which enable him to subvert their institutions".

Lavasa also spoke about his association with Chhokar, including their shared love for Urdu poetry. Chhokar passed away on September 12, 2025, in New Delhi at the age of 80. He was a co-founder of poll rights body Association for Democratic Reforms (ADR), and also a respected academic, civic activist, lawyer, engineer and conservationist. On his death, the ADR said that Chhokar's vision reshaped the way India thinks about elections and accountability. A memorial book containing his articles released on the occasion stated that Chhokar's life was distinguished by his commitment to strengthening democratic governance promoting transparency in Indian public life.

Born on November 25, 1944, Chhokar earned degrees in engineering in 1967, pursued a Master of Business Administration (MBA) from Delhi University's Faculty of Management Studies (1977) and later earned a doctorate from the Louisiana State University in the US. He joined IIM-Ahmedabad in 1985, teaching in the field of organisational behaviour, including at IIM-Ahmedabad, until his retirement in 2006. He co-founded the ADR in 1999. For over two decades, Chhokar and his colleagues at the ADR spearheaded several landmark judicial interventions. These included the 2002 Supreme Court judgment making it mandatory for candidates to disclose their criminal cases, assets, and educational qualifications, and its most recent has been to challenge the EC's SIR. The ADR's other recent notable intervention was challenging the electoral bonds scheme, which the Supreme Court struck down in 2024.

In 1999, Chhokar and his IIM colleague Tarlochan Sastry petitioned the Delhi High Court, where they said candidates in elections to the Lok Sabha and state assemblies disclose criminal cases pending against them in their nomination papers. In its verdict next year, the court said it should be mandatory for candidates to disclose criminal cases pending against them, which the Supreme Court upheld in 2002.

WEBFIL LIMITED

CIN: L36900WB1979SGC032046
Regd. Office: "YULE HOUSE", 8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Kolkata – 700001
Phone: 033 2242 8210/8550/1988, 2248 4671, 2243 1555, FAX: +91 33 2242 1335
E-mail: webfil@webfilindia.com | Website: www.webfilindia.com

COMPLETION OF DESPATCH OF NOTICE OF 46th ANNUAL GENERAL MEETING AND ANNUAL REPORT FOR F.Y. 2025-2026

Members are hereby informed that dispatch of the Notice convening the 46th Annual General Meeting of the Company on Tuesday, 29th September, 2026 at 4.30 p.m. and the Annual Report for the financial year ended 31st March 2026 to the members of the Company has been completed on 3rd September, 2026, in conformity with the regulatory requirements.

Pursuant to the MCA and SEBI Circulars the Notice of 46th AGM and Annual Report for the F.Y. 2025-2026 have been sent only in electronic mode to the members whose e-mail address are registered with the Company or the Depository Participant(s) as on 22nd September, 2026. These documents are also available on the Company's website www.webfilindia.com, website of CSE Ltd. www.cse-india.com and the notice is additionally available at www.e-voting.nsdl.com.

In compliance with provisions of the Companies Act, 2013 read with the Rules framed thereunder, duly amended from time to time; SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Resolutions for consideration at the 46th AGM will be transacted through remote e-voting (i.e. facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of National Securities Depository Limited (NSDL) have been engaged by the Company.

Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, 22nd September, 2026 will be entitled to cast their votes by remote e-voting or e-voting during the AGM. Those who are not members on the cut-off date should accordingly treat the AGM Notice as for information purposes only.

Remote e-voting will commence at 9.00 a.m. on Saturday, 26th September, 2026 and will end at 5.00 p.m. on Monday, 28th September, 2026, when remote e-voting will be blocked by NSDL. Members, who cast their votes by remote e-voting, may attend the AGM but will not be entitled to cast their votes once again.

Persons who become Members of the Company after sending the AGM Notice but on or before the cut-off date may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in or to the Company at cs@webfil.com requesting for user ID and password for remote e-voting or e-voting during the AGM.

Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the Notice of the 46th AGM.

The Company has appointed Shri Manoj Prasad Shaw, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 5517), Proprietor of Manoj Shaw & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting at the 46th AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any query / grievance with respect to remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available under the 'Downloads' section of NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com or may contact Ms. Pallavi Mhatre, DVP, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4thFloor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013 at toll free no. 1800 1020 990/1800 22 44 30 or at e-mail ID: evoting@nsdl.co.in.

For and on behalf of WEBFIL LIMITED
Sd/-
(Sneha Kewat)
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 3rd September, 2026

JUPITER INFOMEDIA LIMITED

CIN: L62099MH2005PLC152387
Reg Office: 336, Laxmi Plaza, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400 053.
Email: csco@jupiterinfomedia.com; **Web:** www.jupiterinfomedia.com; **Tel:** 91-22-26341691

21st ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the Twenty-First Annual General Meeting ("AGM") of the Members of JUPITER INFOMEDIA LIMITED (ARIX ENERGIX LIMITED) (the "Company") will be held on Tuesday, September 29, 2026, at 01.30 P.M.(IST) through Video Conference ('VC') /Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set out in Notice convening the AGM which will be circulated to the Members.

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), including the latest General Circular No. 3/2025 dated September 22, 2025, and the applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and circulars issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as the "Circulars"), Companies are permitted to conduct Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing (VG) or other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members. Accordingly, the Twenty-First Annual General Meeting is being convened and conducted through VC/OAVM.

Members can attend and participate in the AGM through the VG/ OAVM facility only. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of the AGM and attendance of the Members through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The VC/OAVM facility is being availed by the Company from National Securities Depository Limited ("NSDL").

Pursuant to Regulation 36(1) of the Listing Regulations, electronic copies of the Notice of the Twenty-First AGM and Annual Report for the financial year 2025-26 will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants. The Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2025-26 will also be made available on the Company's website at www.jupiterinfomedia.com and on website of BSE Limited at www.bseindia.com.The Members will be provided with the facility to cast their votes on all businesses as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system (remote e-voting), provided by CDSL. The manner of remote e-voting procedure for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and Members who have not registered their email addresses, will be provided in the Notice of the AGM.

All the Equity Shares of the Company are held by the Members in dematerialized form. However. Detailed procedure of e-voting by members holding shares in dematerialized mode and for members who have not registered their email address would form part of the Notice/AGM.

Members who have not registered their email addresses with the Depositories/Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA), so far. are requested to register/update their email addresses as follows:

In respect of electronic/ demat holdings with the Depository through their concerned Depository Participants. However, the Members may temporarily register the email address with the Company by providing details such as Name, DP ID, Client ID, PAN, Mobile number and email address to jupiterinfocompliance@gmail.com

The Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Wednesday, September 23, 2026 ("Cut-Off Date") shall be entitled to cast their vote electronically on the resolutions set forth in the Notice of the AGM. The remote e-Voting period will commence on Saturday, September 26, 2026 at 9.00 A.M. (IST) and end on Monday, September 28, 2026, at 5.00 P.M. (IST)

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular Members are requested to carefully read the Notice of the AGM and in particular, Instructions or joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting on voting at the AGM

By the Order of Board of Directors
For **JUPITER INFOMEDIA LIMITED**
Sd/-
Viren Sudhirbhai Bakraniya
Managing Director

Place: Mumbai
Date: 03.09.2026

SICAL LOGISTICS LIMITED

CIN L51909TN1955PLC002431
Registered Office : South India House 73, Armenian Street, Chennai - 600 001, Tamil Nadu
Telephone : 044-66157071 **Website** : https://sical.in **E-mail** : cs@pristinelogistics.com

NOTICE OF 71ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 71st Annual General Meeting (**"AGM"**) of the Members of Sical Logistics Limited (**"Company"**) will be held on **Wednesday, 30th day of September 2026, at 1:30 p.m.** through Video Conferencing (**"VC")**/Other Audio-Visual Means (**"OAVM"**), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder read with General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (**"MCA")**, read with the relevant circulars issued in this regard and other applicable circulars issued by the MCA and Securities and Exchange Board of India (**"SEBI")** (collectively referred to as "Circulars"), to transact the businesses set out in the Notice of the AGM.

The Company has completed the dispatch of the Notice of the 71st AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2026 on Thursday, September 03, 2026, through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Company's Registrar and Share Transfer Agent viz., Cameo Corporate Services Limited (**"RTA"**)/ National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) and/or Central Depository Services (India) Limited (**"CDSL"**), (NSDL and CDSL collectively, the **"Depositories"**), in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

Further, a letter providing web link including the exact path and QR code to access the Annual Report and Notice of AGM for FY 2025-26 will be sent to those Members who have not registered their e-mail address. Members who have not registered their e-mail address are requested to register/update the same with their respective Depository Participant, in case of dematerialised holdings, or with the Company/RTA, in case of physical holdings.

Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM facility. The detailed instructions for joining the AGM through VC/OAVM form part of the 'Notes' section to the Notice. Members participating in the AGM through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members may note that the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2026 have also been made available on the website of the Company at https://sical.in/investors/annual-reports/, the stock exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, as well as on the website of the e-voting service provider i.e., CDSL at www.evotingindia.com.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

a) Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide e-voting facility to its Members to enable them to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the Notice of the AGM. The Members holding shares either in physical or dematerialised form, as on **Friday, the 18th September, 2026 ("Cut-off date")** are entitled to avail the facility of remote e-voting facility as well as e-voting during the AGM. All the Members are hereby informed that the business, as set out in the Notice will be transacted through voting by electronic means only.

b) Members who have acquired shares after the dispatch of the Notice of the AGM and holds the same as on the Cut-off date may obtain the login ID and password by contacting the RTA at its investor portal at https://wisdom.cameoindia.com/

c) The remote e-voting period will commence on Sunday, the 27th September, 2026, at 09:00 a.m. (IST) and will conclude on Tuesday, the 29th September, 2026, 05:00 p.m. (IST). The remote e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter and no remote e-voting will be permitted beyond Tuesday, the 29th September, 2026, 05:00 p.m. (IST). During this period, the Members holding shares and whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on **Friday, the 18th September, 2026 ("Cut-off date")** may cast their vote by remote e-voting before the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member during the above-mentioned remote e-voting period, the Member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

d) Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote again at the AGM.

e) Members present in the AGM through VC/OAVM facility and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

f) The procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM, for Members holding shares in either dematerialised or physical form, including those who have not registered their e-mail addresses, form part of the 'Notes' section to the Notice.

g) The Board of Directors has appointed M/s KRA & Associates, Practicing Company Secretaries (Firm Registration Number P2020TN082800) to act as scrutinizer for conducting the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

h) In case of any queries or grievances/concerns regarding attending the AGM or e-Voting through the CDSL e-Voting system, Members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-Voting manual available under the "Help" section at www.evotingindia.com or send a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Assistant Vice President, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013.

Members may also contact the RTA at its investor portal at https://wisdom.cameoindia.com/ or write to the Company at the abovementioned address or email at cs@pristinelogistics.com

Members are requested to carefully read the Notice and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

For and on behalf of the board of directors
Sical Logistics Limited
Sd/-
Seshadri Rajappan
Whole-time Director
DIN: 00862481

Place : Chennai
Date : September 03, 2026

Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.

CIN: L21012DL1972PLC279773
Regd. Office: 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi - 110 002
Website: www.skpmil.com I E-mail: info@skpmil.com I Tel: 91-11-46263200

NOTICE TO THE MEMBERS OF 54TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

This is in continuation to our earlier communication dated September 01, 2026, whereby Members of Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd. ("the Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ["SEBI Listing Regulations"] read with General Circular Nos, 14/2020 dated April 8, 2020, and 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 5, 2020 read with other related circulars including the latest being General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Board of Directors decided to convene 54th Annual General Meeting ("AGM") of the Company on **Tuesday, September 29, 2026 at 11:00 A.M. (IST)** through Video Conferencing **("VC")**/Other Audio Visual Means **("OAVM")** facility, without the physical presence of Members at a common venue, to transact the business as set out in Notice of the 54th AGM.

Notice of the 54th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2026 has been sent on Thursday, September 03, 2026 through e-mail to those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with their respective Depository Participants ("DP"). The same are available on Company's website (www.skpmil.com) and Stock Exchange website (www.bseindia.com).

Company will also be sending communication providing web-link for accessing the Notice of AGM and Annual Report, including the exact path, to those Members who have not registered their e-mail address with the Company/RTA/DP.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, Members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by MUFG Intime India Private Limited on all resolutions set forth in Notice of the 54th AGM.

Remote e-voting shall commence on **Saturday, September 26, 2026 (9:00 A.M. IST)** and end on **Monday, September 28, 2026 (5:00 P.M. IST)**. During this period, Members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by MUFG Intime India Private Limited for voting.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Once the Member cast vote on a resolution, Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM, registration of e-mail address, obtaining login details and e-voting during the AGM are provided in Notice of the 54th AGM.

Mr. Manish Kumar Bansal (Advocate), partner of Globiz Legal, have been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

The cut-off date for the purpose of ascertaining eligibility of Members to avail e-voting facility will be **Tuesday, 22nd September, 2026 ("Cut-off date")**. The voting right of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on **Tuesday, September 22nd, 2026 ("Cut-off date")**. A person, whose name appears in the Register of Members or list of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be a member as on Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Any person, who acquire share(s) and become Member of the Company after the date of dispatch of Notice of the 54th AGM and holding shares as on the Cut-off date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in Notice of the 54th AGM or sending a request at enotices@in.mpms.mufg.com. However, if a person is already registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited for remote e-voting, then existing User ID and Password can be used to cast their vote as per instructions provided in Notice of the 54th AGM.

If you have not registered your e-mail address with the Company/RTA/DP, you may please follow the below instructions:

Physical Holding	Please send a request to MUFG Intime India Private Limited, RTA at enotices@in.mpms.mufg.com or to the Company at cs@skpmil.com providing your name, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back) and self-attested scanned copy of PAN and Aadhar Card, for registering e-mail address.
Demat Holding	Please contact your DP and register your e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP.

SEBI has mandated furnishing of PAN, KYC details (i.e. Postal Address with PIN Code, email address, mobile number and bank account details) and nomination details by holders of securities in physical form. Any service request or complaint received from the Member will not be processed until the aforesaid details/documents are provided to RTA. Relevant details and prescribed forms in this regard are available on website of the Company at www.skpmil.com .

Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from **Wednesday, September 23, 2026 to Tuesday, September 29, 2026** (both days inclusive) for the purpose of the 54th AGM.

The result of voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website (www.skpmil.com) and Stock Exchanges website (www.bseindia).

In case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the frequently asked questions (FAQs) and Instavote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or may contact Mr. Rajiv Ranjan, MUFG Intime India Private Limited, Telephone No. 022 – 4918 6000, email ID: enotices@in.mpms.mufg.com or Contact Mrs. Ritika Priyam, Company Secretary & Compliance Officer of the Company at the registered office on 011-46263200 or email at cs@skpmil.com who will address the member's grievances connected.

By Order of the Board of Directors
For **Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd**
Sd/-
Ritika Priyam
Company Secretary Cum Compliance Officer
Mem No: A53502

Place: New Delhi
Date: September 03, 2026

श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L21012DL1972PLC279773

पंजी. कार्यालयः 4830/24, प्रहलाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–110 002
वेबसाइटः www.skpmil.com । ई–मेलः info@skpmil.com । फोनः 91–11–46263200

सदस्यों के लिए 54वीं वार्षिक आम बैठक, खाताबंदी और ई–वोटिंग की जानकारी की सूचना

दिनांक 01 सितंबर, 2026 के हमारे पिछले संचार को जारी रखते हुए, जिसके माध्यम से श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के अनुपालन में, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 तथा उनके सहपठित अन्य संबंधित परिपत्रों के सहपठित, जिनमें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्रों") द्वारा जारी नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 भी शामिल है, निदेशक मंडल ने कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (भारतीय मानक समय)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")**/अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों **("ओएवीएम")** की सुविधा के माध्यम से, सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना 54वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी।

कंपनी की 54वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट गुरुवार, 03 सितंबर, 2026 को उन सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है, जिनके ई–मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट ("आरटीए") अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के पास पंजीकृत हैं। कथित सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कंपनी उन सदस्यों को भी एक संचार भेजेगी, जिन्होंने अपना ई–मेल पता कंपनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीकृत नहीं कराया है, जिसमें 54वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए वेब–लिंक तथा उसे देखने का सटीक मार्ग दिया जाएगा।

अधिनियम की धारा 108 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 तथा एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को 54वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पूर्व) और ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है।

रिमोट ई–वोटिंग **शनिवार, 26 सितंबर, 2026 को (प्रातः 9:00 बजे भारतीय मानक समय)** प्रारंभ होगी और **सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को (सायं 5:00 बजे भारतीय मानक समय)** समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके पश्चात, एमयूएफजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें एजीएम के दौरान उपलब्ध ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से पुनः अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के पश्चात सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम में शामिल होने, ई–मेल पता पंजीकृत कराने, लॉगिन विवरण प्राप्त करने तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग संबंधी विस्तृत निर्देश 54वीं एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए हैं।

कंपनी द्वारा श्री मनीष कुमार बंसल (अधिवक्ता), ग्लोबिज लीगल के भागीदार को संपूर्ण ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से जांच करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के वोटिंग अधिकार मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 ("कट–ऑफ तिथि") को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगी। जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखी गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, वही एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे कथित सूचना केवल जानकारी निमित मानना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति, जो 54वीं एजीएम की सूचना प्रेषित करने की तिथि के पश्चात कंपनी के शेयर अर्जित करता है और सदस्य बन जाता है तथा कट–ऑफ तिथि को शेयरधारक बन जाता है, 54वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके अथवा enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल अथवा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के पास पहले से पंजीकृत है, तो वह 54वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड उपयोग करके अपना वोट डाल सकता है।

यदि आपने अपना ई–मेल पता कंपनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

भौतिक शेयरधारिता	ई–मेल पता पंजीकृत करने के लिए कृपया एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आरटीए को enotices@in.mpms.mufg.com पर अथवा कंपनी को cs@skpmil.com पर अपना नाम, फोलियो नंबर, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे दोनों पक्ष) तथा पैन और आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित स्कैन की गई प्रति उपलब्ध कराते हुए अपना अनुरोध भेज दें।
डीमैट शेयरधारिता	कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीमैट खाते में अपने डीपी द्वारा निर्दिष्ट विधि अनुसार अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं।

सेबी ने भौतिक रूप में प्रतिभूतिधारकों के लिए पैन, केवाईसी विवरण (अर्थात पिन कोड सहित डाक पता, ई–मेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण) तथा नामांकन विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है। सदस्य से प्राप्त कोई भी सेवा अनुरोध या शिकायत तब तक संसाधित नहीं की जाएगी, जब तक उपरोक्त विवरण/दस्तावेज आरटीए को उपलब्ध नहीं करा दिए जाते। इस संबंध में प्रासंगिक विवरण और निर्धारित प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.skpmil.com पर उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 91 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, 54वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी का सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां **बुधवार, 23 सितंबर, 2026 से मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 तक** (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगा।

वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और इस प्रकार घोषित परिणाम, संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट (www.skpmil.com) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध कराया जाएगा।

ई–वोटिंग के संबंध में किसी प्रश्न अथवा समस्या के मामले में सदस्य सहायता अनुभाग के अंतर्गत https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और इंस्टावोट ई–वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा श्री राजीव रंजन, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से फोन 022–4918 6000 अथवा ई–मेल enotices@in.mpms.mufg.com पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कंपनी में श्रीमती रितिका प्रियम, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी से पंजीकृत कार्यालय में फोन 011–46263200 अथवा ई–मेल cs@skpmil.com पर संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते **श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
हस्ता/–
रितिका प्रियम
कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्याः ए53502

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 03 सितंबर, 2026

ए2जेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

CIN: L74999HR2002PLC034805

पंजीकृत कार्यालयः ओ–116, पहली मंजिल, शॉपिंग मॉल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी, फेज– I, गुरूग्राम–122002, हरियाणा
कॉर्पोरेट कार्यालयः ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 58, सैक्टर–44, गुरूग्राम–122003, हरियाणा
फोनः 0124-4723383
ईमेलः investor.relations@a2zemail.com, **वेबसाइटः** www.a2zgroup.co.in

25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, ई–वोटिंग जानकारी और बुक क्लोजर

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा समय–समय पर जारी किए गए संगत प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सेबी सूचीयन विनियम'') के प्रावधानों के अनुपालन में **ए2जेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 25वीं (पचीसवीं) वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') शनिवार, 26 सितम्बर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी)** विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना **गुरूवार, 03 सितंबर, 2026** को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (अर्थात ई–मेल) के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी है जिनके ई–मेल पते कंपनी या कंपनी के संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए) के पास पंजीकृत थे। सदस्य कृपया ध्यान दें कि 25वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.a2zgroup.co.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, जोकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और एनएसडीएल (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसरण में, कंपनी ने उन सदस्यों को भी पत्र भेजे हैं, जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं, जिनमें वेब–लिंक के साथ–साथ कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध होने का सटीक पथ भी बताया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 संशोधन द्वारा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 और सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के विनियम 42 अनुसरण में कंपनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर अंतरण पुस्तिकायें सोमवार, 21 सितम्बर, 2026 से शनिवार, 26 सितम्बर, 2026 (दोनों दिवस शामिल) तक एजीएम के उद्देश्य हेतु बंद रहेगी।

एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के लिए निर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमनों के विनियमन 44 के साथ, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक और उसके अंतर्गत जारी लागू परिपत्र के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को यह सुविधा देते हुए खुशी हुई है, कि एजीएम में होने वाले सभी व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के ज़रिए वोट डालने की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की ई–वोटिंग सर्विस के ज़रिए दी जा रही है। एजीएम के नोटिस में एनएसडीएल के ई–वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके वोट देने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में वोटिंग को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने एवं दिये गये वोट की जांच के लिए श्री सुचित्ता कोले (सी.पी. नं. 714), डीआर एसोसिएट्स की पार्टनर, पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है किः–

1. रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग की कट–ऑफ तिथि **शनिवार, 19 सितम्बर 2026** है। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **बुधवार, 23 सितम्बर, 2026 को प्रातः 09:00 बजे** से प्रारम्भ होगी और **शुक्रवार, 25 सितम्बर 2026 को सायंः 05:00 बजे** समाप्त होगी।
2. कथित तिथि व समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित होने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है, और कंपनी का सदस्य बनता है, तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् **शनिवार, 19 सितम्बर, 2026** को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.com या investor.relations@a2zemail.com पर एक निवेदन भेजकर लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हलांकि, यदि आप ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो आप अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग मतदान करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये है तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''यूजर विवरण/पासवर्ड भूलना'' या ''फिजिकल यूजर रिसेट पासवर्ड'' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं।
4. कोई भी सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
5. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग कराने की सुविधा कंपनी की एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी और एजीएम में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा अपने मत नहीं डाले हैं, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से बैठक में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होगें।
6. किसी भी पूछताछ के लिए आप एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान किसी भी सहायता के लिए वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर ''डाउनलोड'' सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं। आप एनएसडीएल के टोल फ्री नं. 022–48867000 पर भी कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, उप उपाध्यक्ष, एनएसडीएल से पदनामित ई–मेल आईडी evoting@nsdl.com पर सम्पर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी आपकी शिकायतों का समाधान करेगी या श्री अतुल कुमार अग्रवाल, कंपनी सचिव को ई–मेल आईडी investor.relations@a2zemail.com पर भेज सकते हैं।

ई–मेल आईडी के रजिस्ट्रेशन/अपडेट करने की प्रक्रियाः

ए. अगर आपके पास फिजिकल रूप में शेयर हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप ठीक से भरा हुआ और साइन किया हुआ फॉर्म ISR-1 जमा करके उन्हें अपडेट करें। इसके साथ आपको पैन कार्ड की सेल्फ–अटेस्टेड कॉपी और सदस्य के पते के सबूत के तौर पर किसी भी डॉक्यूमेंट (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट) की सेल्फ–अटेस्टेड कॉपी भी देनी होगी। ये डॉक्यूमेंट 'अलंकित' को इस पते पर भेजें: अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, या ईमेल करें: rta@alankit.com।

बी. अगर आपके पास डीमैट फ़ॉर्म में शेयर हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने डीपी के पास अपना ईमेल पता रजिस्टर/अपडेट करें।

प्रस्तावों पर परिणाम कंपनी के एजीएम की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। सदस्यों की जानकारी के लिए पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.a2zgroup.co.in) और एनएसडीएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे तथा इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ए2जेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ता./–
अतुल के. अग्रवाल
कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुरूग्राम
दिनांकः 03 सितम्बर, 2026

प्रकाशन

कर्ज खाता क्र. **HLLALAJ00378231** में दिनांक **13.08.2026** का नोटिस सुरक्षित लेनदार सम्मान फिनसर्व लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा, **अनीता शर्मा और राकेश शर्मा**, (''उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) / सह–उधारकर्ता (सह–उधारकर्ताओं) / गारंटर (गारंटर्स)'') को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर **स्वर्गीय पूरन चंद शर्मा** के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के बारे में अधोहस्ताक्षरी को जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। चूंकि आप उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) / सह–उधारकर्ता (सह–उधारकर्ताओं) / गारंटर (गारंटर्स) कानूनी उत्तराधिकारी का विवरण देने में विफल रहे हैं, इसलिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह मान लिया गया है कि उपरोक्त उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) / सह–उधारकर्ता (सह–उधारकर्ताओं) के अलावा **स्वर्गीय पूरन चंद शर्मा** के कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हैं।

प्राधिकृत अधिकारी
कृते सम्मान फिनसर्व लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

स्थान : दिल्ली

NOTICE

JINDAL STEEL LTD

O.P. Jindal Marg, Hisar-125 005, Haryana, India

NOTICE is hereby given that the following Shares of **JINDAL STEEL LTD.** as per the details given below have been lost and the undermentioned has applied to the Company for issue of duplicate certificates.

Folio No.	Name	Certificate No.	Distinctive Nos. From	Distinctive Nos. To	Nos. of Shares
465737	**SANGEET KAUR ARORA**	19963	24459051	24459122	72
465555	**SANGEET KAUR ARORA**	19966	24459195	24459266	72

Any person who has any claim in respect of the said shares should lodge such claim with the company at its Registered Office **JINDAL STEEL LTD.** O. P. Jindal Marg, Hisar - 125 005, Haryana, India, within **15 days** from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificates.

Place: **NEW DELHI**
Date: **02.09.2026**

Sd/-
SANGEET KAUR ARORA

CSB Bank
Trusted Heritage Smart Future

सीएसबी बैंक लिमिटेड

आंचलिक कार्यालयः तृतीय तल, ए–33, लिंक रोड, लाजपत नगर, भाग–3, नई दिल्ली – 110024

परिशिष्ट IV
(नियम 8(1) देखें) कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 (2002 का 54), के तहत सीएसबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अंतर्गत **उधारकर्ता (1) श्री अमरजीत सिंह कीर पुत्र श्री अच्छर सिंह कीर, निवासी मकान सं. बी–2/149, पश्चिम विहार, पश्चिम दिल्ली – 110063 एवं एनडब्ल्यू ब्लॉक–77, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली – 110018 (2) मेसर्स कंट्रोल वेल स्विचगियर्स (स्वामित्व फर्म) अपने प्रोपराईटर द्वारा श्री अमरजीत सिंह कीर, मकान सं. बी–2/149, पश्चिम विहार, पश्चिम दिल्ली – 110063 एवं मकान सं. एनडब्ल्यू ब्लॉक–77, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली – 110018 तथा श्रीमती सिमरन कीर पत्नी श्री अमरजीत सिंह कीर, मकान सं. बी–2/149, पश्चिम विहार, पश्चिम दिल्ली – 110063 एवं एनडब्ल्यू ब्लॉक–77, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली – 110018** को एक मांग सूचना दिनांक 18.06.2026 को जारी किया था, जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 1,18,54,893.78 दिनांक 18.06.2026 तक लैप की ओर और दिनांक 19.06.2026 से @11% प्रतिवर्ष मासिक भुगतान सहित प्रति वर्ष लागू ब्याज साथ ही बकाया राशि के पूर्ण भुगतान की तिथि तक लागू दंडात्मक ब्याज और अन्य लागतें व व्यय, यदि कोई हों, इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता और बंधककर्ता राशि चुकाने में असफल रहे हैं, उधारकर्ता और बंधककर्ता और आम जनता को इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अंतर्गत, दिनांक **01 सितंबर 2026** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को संपत्ति से संबंधित लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन–देन पर सीएसबी बैंक लिमिटेड के प्रभार वास्ते राशि रु. 1,18,54,893.78 दिनांक 18.06.2026 तक लैप की ओर और दिनांक 19.06.2026 से @11% प्रतिवर्ष मासिक भुगतान सहित प्रति वर्ष लागू ब्याज साथ ही बकाया राशि के पूर्ण भुगतान की तिथि तक लागू दंडात्मक ब्याज और अन्य लागतें व व्यय, यदि कोई हों, इत्यादि सहित के अधीन होगा।

(उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।)

अचल सम्पत्ति का विवरण

बंधक विलेखों को जमा करके बंधक, आवासीय संपत्ति के उस समस्त भाग और अंश जिसमें 200 वर्ग गज भूमि पर निर्मित भूतल. 4 मंजिला भवन सम्मिलित है और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भवन का वास्तविक क्षेत्रफल 9000 वर्ग फुट है, संपत्ति सं. 77, खसरा सं. 4/10/2 और 11/2, मकान सं. एनडब्ल्यू ब्लॉक – 77, ग्राम ख्याला, जो अब विष्णु गार्डन के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली 110018 में स्थित है, जिसके स्वामी श्री अमरजीत सिंह हैं और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं:– बिक्री विलेख के अनुसारः– उत्तरः सड़क, दक्षिणः अन्य प्लॉट, पश्चिमः अन्य प्लॉट, पूर्वः अन्य प्लॉट, मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसारः– पूर्वः प्लॉट सं. 64/अन्य संपत्ति, पश्चिमः अन्य संपत्ति, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः 18 फुट की गली

हस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी
(सीएसबी बैंक लिमिटेड)

तिथिः 01.09.2026
स्थान : नई दिल्ली

डीएसई एस्टेट्स लिमिटेड

CIN: U91120DL1947PLC001239

डीएसई हाउस, 3/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002

78वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 78वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को सायं 04.30 बजे डीएसई हाउस, 3/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002 में, उक्त बैठक के आयोजन की सूचना में वर्णित व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। उक्त सूचना की प्रति शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट सहित भेजी जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर रजिस्टर 24 सितंबर, 2026 से 30 सितंबर, 2026 (दोनों तिथियों सहित) तक उपरिवर्णित वार्षिक आम बैठक में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के अधिकार निर्धारण के लिए बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल की ओर से
डीएसई एस्टेट्स लिमिटेड
हस्ता/–
वन्दना शर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 04.09.2026

MUTHOOT SYNERGY NIDHI LIMITED
(Formerly Muthoot Synergy Fund Limited)
Registered Office : 205, Aurobindo Place,
Hauz Khas, New Delhi - 110016
secdep@muthootgroup.com, CIN: U65991DL1994PLC148251
PH: +91 484 2396478

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the members of Muthoot Synergy Nidhi Limited (Formerly Muthoot Synergy Fund Limited) will be held on Sunday the 27th of September 2026 at 12.00 P.M. at the registered office of the Company at 205, Aurobindo Place, Hauz Khas, New Delhi - 110016 to transact the business contained in the Notice convening the Annual General Meeting.

Annual Report for the financial year 2025-26 containing the Notice calling the Annual General Meeting, Directors Report, Auditors Report and Financial statements for the period ended 31st March 2026 is being displayed on the notice board at the Company's registered office.

A member entitled to attend, and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Manoj Jacob
Director
(DIN: 00019016)

Date : 18th August 2026
Place : Ernakulam

DBS

06 जुलाई 2026 को जारी नोटिस का सुधार
बैंक शाखा के स्थानांतरण की सूचना

DBS बैंक इंडिया लिमिटेड की **गुरुग्राम - ऑक्स** ब्रांच को 07 सितंबर 2026 से नई जगह पर स्थानांतरित होने के सम्बन्ध में 06 जुलाई 2026 को पब्लिश हुए हमारे पहले विज्ञापन के बारे में, हम अपने कस्टमर्स को बताना चाहते हैं कि परिचालन-सम्बन्धित कारणों से, यह स्थानांतरण **16 नवंबर 2026** को हो रहा है।

शाखा का वर्तमान पता (13 नवंबर 2026 के बिज़नेस बंद होने तक):
TGF 03, ऑक्स टेक्नोपोलिस टॉवर, गोल्फ कोर्स रोड, सन सिटी, DLF फेज 5, सेक्टर 54, गुरुग्राम - 122001 हरियाणा

शाखा का नया पता (16 नवंबर 2026 से):
नए ब्रांच का नाम: गुरुग्राम सेक्टर – 58
ग्राउंड फ्लोर, यूनिट्स 2A&2B, टॉवर/ब्लॉक नंबर 1, मैग्रम ग्लोबल पार्क, सेक्टर – 58, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, बहरामपुर, तहसील वजीराबाद, गुरुग्राम - 122098 हरियाणा

व्यावसायिक कार्य का समय:
सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक।
महीने के दुसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेगी।
किसी भी परेशानी के लिए हमें खेद है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया **1860 2674567** पर हमसे संपर्क करें।

SBFC

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सीएण्डबी स्क्वेयर, संगम कॉम्पलेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059
शाखा कार्यालय : एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, पहली मंज़िल, न्यू मार्केट, गुरुद्वारा रोड, लोधा मंडी, रेलवे पुलिस चौकी के पास, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड-249407

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') के तहत नीचे उल्लिखित कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए इसके तहत उल्लिखित प्रतिभूत संपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के कब्जे में है, की खरीद के लिए **'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है'** आधार पर नीलामी के लिए सीलबंद कवर में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव/बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। आरक्षित मूल्य संबंधित कॉलम में नीचे उल्लिखित प्रत्येक संपत्ति के सम्मुख होगा और जमा धरोहर राशि (ईएमडी) तदनुसार आरक्षित मूल्य का 10% होगा जिसे डीडी/पीओ के माध्यम से **एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम मंजिल, न्यू मार्केट, गुरुद्वारा रोड, लोढ़ा मंडी, रेलवे पुलिस चौकी के पास, ज्वालापुर, हरिद्वार उत्तराखंड**-249407 में इच्छित बोलीदाताओं/क्रेताकारों द्वारा बोली के साथ 'एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में 08/10/2026 **को शाम** 5:00 **बजे तक** (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) जमा करना आवश्यक होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री की पुष्टि के उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद बिक्री प्रतिफल [ईएमडी राशि सहित बोली के साथ भुगतान किया गया] के कम से कम 25% की जमा राशि का भुगतान करेगा। शेष बिक्री प्रतिफल बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक होगा। जिसका विवरण नीचे दिया गया है: –

कर्जदार/ सह-कर्जदारों का पता	मांग सूचना, तिथि और राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (आर.पी.)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	31 अगस्त 2026 तक कुल बकाया ऋण
1. रश्मि गिरी, 2. जितेंद्र गिरी, पताः खसरा नंबर 478 मिन ग्राम बघेरी महवतपुर, मुष्टकम, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड - 247666	मांग सूचना की तिथि 16 अक्टूबर 2025 09 अक्टूबर, 2025 तक रु. 2335481/– (रुपये तेईस लाख पैंतीस हजार चार सौ इक्यासी मात्र) और 11 अक्टूबर, 2025 से अप्रयुक्त ब्याज	भूमि का वह समस्त भाग खसरा नंबर 478 एमआई ग्राम बघेरी महावतपुर, मुस्थकम, तहसीलः रुड़की, जिलाः हरिद्वार, राज्यः उत्तराखंड - 247666. और सीमाएंः पूर्वः विक्रेता की संपत्ति, पश्चिमः विक्रेता की संपत्ति, उत्तरः विक्रेता की संपत्ति, दक्षिणः 16 फीट चौड़ी सड़क।	रु. 25,34,088/– (रुपये पच्चीस लाख चौंतीस हजार अट्ठासी मात्र)	रु. 2,53,408/– (रुपये दो लाख तिरपन हजार चार सौ आठ मात्र)	रु. 20,58,850/– (रुपये बीस लाख अट्ठावन हजार आठ सौ पचास मात्र)

1. ईएमडी और केवाईसी (स्व-सत्यापित) के साथ निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्रों में सीलबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 08/10/2026 तक शाम 05:00 बजे तक ऊपर उल्लिखित मुख्यालय/शाखा कार्यालय के पते पर है। निविदाएं/बोलियां जो नहीं भरी गई हैं या अंतिम तिथि से परे प्राप्त निविदाएं अमान्य मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकार कर दी जाएंगी। 2. ईएमडी राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम, हरिद्वार उत्तराखंड-249407 में देय **'एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में किया जाना चाहिए जो असफल बोलीदाताओं को ब्याज के बिना वापस किया जा सकता है, 3. संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 01/10/2026 को सुबह 11.00 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच है। 4. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि 09/10/2026 **दोपहर 12:30 बजे** उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर है। निविदा/बोली सभी बोलीदाताओं के साथ अधिकृत प्राधिकारी की उपस्थिति में खोली जाएगी। 5. बोली **रु. 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र)** के वृद्धिशील मूल्य से शुरू होगी। इसके अलावा सभी बोलियों को वृद्धिशील मूल्य के गुणक में बढ़ाया जाएगा। 6. संपत्ति को उच्चतम बोली राशि का हवाला देते हुए बोलीदाता को बेचा जाएगा। पारस्परिक बोली प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर होगी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी निविदा/बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित करने/स्थगित करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार है। संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 7. नोटिस में बकाया राशि और आकस्मिक व्यय, लागत, आदि पर ऋण समझौते के अनुसार, इसके लिए देय और इसकी प्राप्ति तक देय ब्याज के रूप में लागू ब्याज लिया जाएगा। 8. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल की गई हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त प्रमुख/शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं। 9. कोई भी शुल्क, शुल्क, कर जिसमें हस्तांतरण/वाहन शुल्क, अप्रदत्त बिजली शुल्क, नगरपालिका/स्थानीय कर, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, केवल क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। 10. नीलामी क्रेता/उच्चतम बोलीदाता एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (एसबीएफसी) के पैन में बिक्री के खिलाफ आयकर नियमों (अब तक 1%) के अनुसार लागू टीडीएस जमा करेगा, और बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले आरएफएल के साथ अपेक्षित प्रपत्र/दस्तावेज (जिसे अब फॉर्म 26क्यूबी कहा जाता है) जमा करेगा। उक्त टीडीएस राशि नीलामी क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल से काटी जाएगी। 11. सभी बकाया/लंबित/अप्रदत्त कर जिनमें बिक्री कर, संपत्ति कर, आदि या प्रतिभूत संपत्ति पर कोई अन्य बकाया, वैधानिक या अन्यथा शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं, खरीदार द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। 12. प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात ऋणभारः शून्य, 13. सफल बोलीदाता बोली राशि का 25% (ईएमडी को समायोजित करने के बाद) तुरंत जमा करेगा और शेष 75% राशि 15 दिनों के भीतर देय होनी चाहिए, जैसा कि कहा गया है, बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहने पर, ईएमडी सहित सभी जमाराशियों को बिना किसी सूचना के जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि, असाधारण स्थितियों में शेष 75% भुगतान करने के लिए और उचित समय का विस्तार प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर होगा। 14. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उनके ज्ञान, विश्वास और रिकॉर्ड के अनुसार बताए गए हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलतबयानी या चूक आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, 15. बोली हस्तांतरणीय नहीं है, क्रेता(ओं)/सफल बोलीदाता और/या उनके माध्यम से या उनके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 16. बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट **'मैसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में किया जाना चाहिए, जो केवल हरिद्वार उत्तराखंड**-249407 पर देय है, 17. कर्जदार/सह-कर्जदार को नीलामी की तारीख से पहले ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 30 दिनों का वैधानिक बिक्री नोटिस दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी। यदि कर्जदार बिक्री की तारीख से पहले एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) को देय राशि का पूरा भुगतान करता है, तो नीलामी बंद हो सकती है। 18. एतद्द्वारा कर्जदार, सह-कर्जदार को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया जाता है और वे बिक्री के नियमों और शर्तों के विवरण के अनुसार, ऊपर वर्णित अचल संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक क्रेताओं को ला सकते हैं। 19. इच्छुक पार्टियां अधिक विवरण/स्पष्टीकरण के लिए और अपना आवेदन/बोली जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं, **प्राधिकृत अधिकारीः श्री अरविंद चौहान, मोबाइल नंबर** +91 9639921878, **ई-मेल आईडीः arvind.chauhan@sbfc.com, प्राधिकृत अधिकारीः श्री 'चेतन तिवारी' मोबाइल नंबर** +91 7753900128, **ई-मेल आईडीः chetan.tiwari@sbfc.com**, 20. स्थानीय भाषा के प्रचार में विसंगति के मामले में, अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र पर प्रभावी होगा।

स्थानः हरिद्वार/उत्तराखंड-249407, दिनांकः 04 सितंबर, 2026 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड**

praruh
DRIVING TECHNOLOGY

प्रारुह टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: ए-58, सेक्टर-6, नोएडा – 201301
CIN: L72900UP2019PLC123393
GSTIN: 09AAKCP8750B1Z8

7वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं रिमोट ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रारुह टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी" या "प्रारुह") के सदस्यों की सातवीं (07वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को अपराह्न 02:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के जरिए आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।
   यह बैठक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र, जिसमें परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, 2/2022 दिनांक 5 मई 2022, 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर 2021, 02/2022 दिनांक 05 मई 2022 तथा 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2024 शामिल हैं (जिन्हें सामूहिक रूप से आगे "एमसीए परिपत्र" कहा गया है), तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी 2023, SEBI/HO/CFD/CMD1CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 तथा SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 (जिन्हें सामूहिक रूप से "सेबी परिपत्र" कहा गया है) के साथ पठित है।
   उक्त परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों की किसी सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के जरिए एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम निर्धारित करने के उद्देश्य से उपस्थित सदस्यों के रूप में माना जाएगा।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 को कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 के साथ पठित करने पर, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने की सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") प्रदान कर रही है, जिसकी सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई है। उक्त मतदान के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर कार्य किया जा सकेगा।
3. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://praruh.in/wp-content/uploads/2026/09/Annual-Report-2025-26.pdf पर भी उपलब्ध हैं तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट और कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात माशितला सिक्योरिटीज लिमिटेड की वेबसाइट से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत/अपडेट कराएं।
4. कट-ऑफ तिथि सोमवार, 25 सितंबर 2026 को भौतिक रूप या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों के संबंध में, एजीएम के स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं (रिमोट ई-वोटिंग)।
5. सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

I. एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के द्वारा संपन्न किया जा सकता है;
II. रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 26 सितंबर 2026 को प्रातः 9:00 बजे (IST) से शुरू होगी;
III. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 28 सितंबर 2026 को शाम 5:00 बजे (IST) समाप्त होगी और इसके पश्चात ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी;
I. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 है।
II. कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के पश्चात कंपनी के शेयर अर्जित करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को शेयर धारण करता है, वह पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही सीडीएसएल के पास ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो मतदान करने के लिए मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
III. सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि:
a) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सोमवार, 28 सितंबर 2026 को शाम 5:00 बजे (IST) के बाद सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर अपना मत डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी;
b) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत डाल दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा अपना मत डालने का अधिकार नहीं होगा; तथा
c) केवल वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा तथा एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
IV. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.praruh.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए शेयरधारक निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं: माशितला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, 451, कृष्णा अप्रा बिजनेस स्क्वायर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034, ई-मेल: rta@maashitla.com

कृते प्रारुह टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
हस्ता./-
(विशाल प्रकाश)
प्रबंध निदेशक
DIN: 09364754

दिनांक: 03.09.2026
स्थान: नई दिल्ली

यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ग्रिपवेल हाऊस, ब्लॉक-5, सेक्टर- सी 6 एवं 7, बसंत कुंज, नई दिल्ली -110070
कॉरपोरेट कार्यालय: प्रथम मंजिल बी 208, ए1 एवं ए 2,फेस-II, नोयडा-201305, (उ०प्र०) इण्डिया, दूरभाष: +91 120 4581400,
CIN : L74899DL1994PLC061753
ईमेल : compliance.officer@unipartsgroup.com; वेबसाइट : www.unipartsgroup.com

UNIPARTS GROUP

कम्पनी की बतीसवीं वार्षिक बैठक ("एजीएम") के सम्बन्ध में जानकारी

प्रिय सदस्यो,

यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की बतीसवीं वार्षिक बैठक ("एजीएम"), कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं), विनियमन, 2015 (**"लिस्टिंग विनियमन"**) के सभी लागू प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों साथ में पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय (**"एमसीए परिपत्रों"**) एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (**"सेबी परिपत्रों"**) द्वारा इस मामले में जारी सभी लागू परिपत्रों के अनुपालन मे एजीएम बुलावे की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय के निष्पादन हेतु विडियो कान्फ्रैसिंग (**"वीसी"**) अथवा आडियो विजुवल माध्यम (**"ओएवीएम"**) द्वारा **सोमवार, 28 सितम्बर, 2026 को सायं 4.30 बजे (आईएसटी)** पर आयोजित की जायेगी। सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम की सुविधा से भाग लेकर शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेन वाले सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जायेगा।

एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट, मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय कथन को मिलाकर ("वार्षिक रिपोर्ट") सभी सदस्यों, जिनके ईमेल पते डिपॉटरीज भागीदार अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेन्ट, एमयूएफजी इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड ("आरटीए") के पास पंजीकृत को ईमेल द्वारा एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार भेज दी जायेंगी। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमन 36(1)(बी) के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना का वेब–लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जायेगा जिनकी ईमेल आईडीज कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदार के पास पंजीकृत नहीं हैं। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट साथ में कम्पनी की वेबसाइट https://www.unipartsgroup.com/home/annual_report, स्टॉक एक्सचेनजों की वेबसाइट i.e. बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड, www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर क्रमशः, एवं कम्पनी के आरटीए की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध होगी।

एजीएम में शामिल एवं रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा भाग लेने के अनुदेश एजीएम की सूचना में प्रदान किये जायेंगे। ई–वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए लॉगइन साख सदस्यों को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है अथवा जिनके ईमेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन कर लॉगइन साख जनरेट कर सकते हैं। उसी लॉगइन साख का उपयोग एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए भी किया जा सकता है।

ईमेल पते पंजीकरण/अपडेटिंग का तरीकाः

(क) **डिमैटरीलाइज प्रपत्र में धारित सदस्यों**, जिन्होंने अपने ईमेल पते डिपॉटरीज भागीदार के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं वे डिपॉटरीज भागीदार, जिनके पास उनके डीमैट खाते बनाये गये हैं, उनके पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट कराने का अनुरोध है।

(ख) **भौतिक प्रपत्र में धारित सदस्यों** से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते कम्पनी/आरटीए के पास लिखित में फोलियो न०, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन कापी (आगे और पीछे), पैन कार्ड की (स्व–अभिप्रमाणित स्कैन कापी) एवं आधार की (स्व–अभिप्रमाणित स्कैन कापी) को पंजीकृत/अपडेट करा लें। जो सदस्य भौतिक प्रपत्र में शेयर धारण करते हों, उपरोक्त दस्तावेजों को अपडेट/पंजीकरण कराने के लिए ईमेल पते compliance.officer@unipartsgroup.com अथवा आरटीए के निम्न पते पर भेज सकते हैं:

मैसर्स एमयूएफजी इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, ईकाईः यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड, नोबल हाईट्स, प्रथम मंजिल, प्लॉट न० एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, नजदीक सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014 के नियम 20 (यथासशोधित) के अनुसार कम्पनी ने एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम एवं ई–वोटिंग पात्रता निर्धारण करने की **कट–ऑफ तिथि सोमवार, सितम्बर 21, 2026** निर्धारित की है। किसी भी व्यक्ति जिसने कम्पनी के शेयर्स अधिग्रहित किये हों और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य बना हो एवं **कट–ऑफ तिथि** को शेयर धारण करता हो, लॉगइन साख प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन कर सकते हैं अथवा enotices@in.mpms.mufg.com पर आग्रह भेज सकते हैं।

कृते यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड
हस्ता०/–
जतिन महाजन
कानूनी प्रमुख, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : सितम्बर 03, 2026
स्थान : नोयडा, उत्तर प्रदेश